वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,अमर उजाला, हिन्दुस्तान,ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसदेश टाइम्स,राष्ट्रीय सहारा" समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 03.08.2024

26 बेसमेंट में मिला कारोबार, तीन दिन में वाहन पार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश

सील भवनों में हो रहा था निर्माण, दोबारा सील कर सौंपा पुलिस अभिरक्षा में, दी तहरीर

- रामकटोरा, मलदहिया और सिगरा में बेसमेंट में चल रहा था रेस्टोरेंट, वर्कशाप
- जमीन की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, निर्माण करने वालों को चेताया

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बेसमेंट में अवैध कारोबार, अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण बंद कराने के साथ नोटिस थमाया गया। वहीं, नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण बंद नहीं करने पर उन भवनों को सील करने की कार्रवाई की। वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों पर वीडीए का बुलडोजर गरजा। वहीं, 26 बेसमेंट में कारोबार पाया गया। सभी को तीन दिन के अंदर वाहन पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। वीडीए सचिव डा.वेदप्रकाश मिश्रा ने बताया कि 26 बेसमेंटों की जांच की गई। सभी में कोई न कोई कारोबार पाया गया।

जोन तीन के दशाश्वमेध और चेतगंज वार्ड में 11, जोन चार भेलूपुर और नगवां वार्ड में 12 और जोन पांच रामनगर व मुगलसराय वार्ड में तीन बेसमेंट की जांच की गई। सभी बेसमेंट में अवैध तरीके से कारोबार पाया गया। बताया कि रामकटोरा स्थित एवी ग्रैंड के संजय अग्रहरि, मलदहिया की नीतू, सिगरा के ड्रींक्स एंड बोर्ड बार, होटल आरके गैंड, होटल जैक्लिनों, संदीप बरनवाल, शारदा सिंह सिद्धार्थ कांप्लेक्स, यूएस अग्रवाल, गुरुनानक इंग्लिस स्कूल, विवेक के यहां बेसमेंट में कारोबार मिला। इसी प्रकार भिखारीपुर तिराहे पर सुभाष, नेवादा सुंदरपुर में बेनी विश्वकर्मा, सेवालाल, सद्गुरु शरणानंद महाराज, संजय कुमार सिंह, मनोज मिश्रा, डा. जेएम कश्यप प्रतीत हास्पिटल, आनंद पटेल, राजकुमार, मंजू रानी, राजेन्द्र कुमार, भिखारीपुर में आनंद आटो स्पेयर्स, मुगलसराय में बादल कंपटेटिव क्लासेज, चोखा रेस्टोरेंट, मंजू ड्रेसेज में कारोबार मिलने पर तीन के अंदर वाहन पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। उधर, सारनाथ वार्ड के गोइठहां में रविंद्र पटेल और अरविंद पटेल अवैध निर्माण कर रहे थे। दोनों निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

नगवां में अवैध निर्माण सील करते वीडीए कर्मी • जागरण

वीडीए सचिव ने बताया कि नगवां वार्ड में मारुति नगर कालोनी में 1600 वर्ग फीट में विजय सिंह अवैध निर्माण कर रहे थे। उक्त भवन को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इसी कालोनी में गोविंद सिंह का अवैध निर्माण सील किया गया था लेकिन सील तोड़कर निर्माण जारी था।

वीरेंद्र यादव का भी मकान सील था, यहां भी सील तोड़कर निर्माण जारी रहा। इसी वार्ड में मुरारी चौक सामने घाट मुख्य मार्ग पर शिव प्रकाश यादव का भी पूर्व में सील था, उसे तोड़कर निर्माण किया जा रहा था। तीनों निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। साथ ही तीनों भवन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।

दैनिक जागरण –दि0 03.08.2024

वीडीए ने दर्ज कराए पांच मुकमदे

जासं, वाराणसी : विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता आरके सिंह ने अलग-अलग थानों में पांच मुकदमें दर्ज कराए हैं। भेलूपुर, लंका, चितईपुर में दर्ज कराए गए केस में लोगों पर बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने का आरोप है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला –दि0 03.08.2024

कार्रवाई — वीडीए ने चलाया अभियान, तीन दिन में वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए

26 बेसमेंट का हो रहा था गलत इस्तेमाल, दिया नोटिस

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की ओर शुक्रवार को बेसमेंट में की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 26 बेसमेंट की जांच की गई। जोन थ्री के दशाश्वमेध और चेतगंज में 11, जोन फोर के भेलुपुर और नगवा में 12, जोन फाइव रामनगर और मुगलसराय में 3 बेसमेंट भवन का नियम विरुद्ध उपयोग पाया गया। सभी को 3 दिन में बंद करने और वैधता प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया।

जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें संजय अग्रहरी, मलदहिया, श्रीमती नीतू मलदहिया, ड्रीन्क्स एंड बोर्ड क्लब बार गुलाब बाग, होटल आरके ग्रैंड होटल एसबी ग्रैंड रामकटोरा, होटल जैक्लिनों दशाश्वमेध, संदीप बरनवाल सिगरा, शारदा सिंह सिद्धार्थ काम्प्लेक्स, करण सिंह यूएस अग्रवाल महमूरगंज रोड सिगरा, गुरुनानक इंग्लिस स्कूल सिगरा, विवेक सिगरा, सुभाष बीएचयू रोड भिखारीपुर, बेनी विश्वकर्मा नेवादा सुंदरपुर, सेवालाल, नीलकण्ठ टावर के सामने नेवादा, सद्गुरू शरणानंद महाराज नेवादा सुंदरपुर, संजय सिंह नेवादा सुंदरपुर, मनोज मिश्रा नेवादा निकट पीएनबी बैंक, डॉ. जेएम कश्यप प्रतीत हास्पिटल नेवादा सुंदरपुर, आनंद पटेल नेवादा सुंदरपुर, राजकुमार नेवादा सुंदरपुर, मंजू रानी नेवादा सुंदरपुर, राजेंद्र कुमार नेवादा सुंदरपुर, आनंद आटो स्पेयर्स भिखारीपुर, बादल कम्पटेटिव क्लासेज मानसनगर मुगलसराय, चोखा रेस्टोरेन्ट चन्धासी मुगलसराय, मन्जू ड्रेसेज, महमूदपुर मुगलसराय हैं। इन सभी को बंद करने एवं भवन की वैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया।

तीन स्थानों से वीडीए ने हटवाए अतिक्रमण

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को लालपुर आवासीय योजना के प्रथम चरण के तीन स्थानों से अतिक्रमण हटवाए गए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार वीडीए की भूमि पर कुछ लोगों ने चार प्लॉट की बाउंड्री कराई गई थी। इसे जोनल अधिकारी ने पूर्व में गिराया था। उन्होंने दोबारा अतिक्रमण कर लिया था। इसे दोबारा गिराया गया। दो अन्य जमीन के अंश भाग पर बाउंड्री कर कब्जा किया गया था। इसे ध्वस्त कर वीडीए ने अपने कब्जे में लिया। बारातघर के लिए छोड़ी गई जमीन से कब्जा हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, तहसीलदार सुनील कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

अवैध प्लॉटिंग पर चार पर एफआईआर

वीडीए की ओर से शुक्रवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अवैध प्लाटिंग पर मुगलसराय में चार लोगों पर एफआईआर कराई गई। तीन अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया। दो पर एफआईआर के लिए थाने में तहरीर दी गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सारनाथ वार्ड के गोइठहां में रविंद्र पटेल और अरविंद पटेल की ओर से रिंग रोड पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। नगवां वार्ड के मारुति नगर में विजय सिंह, गोविंद सिंह और वीरेंद्र यादव के निर्माण को सील किया गया और तहरीर दी गई। मुरारी चौक सामने घाट पर शिवप्रकाश के निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

आईनेक्स्ट–दि0 03.08.2024

वीडीए ने दर्ज कराए पांच मुकदमे

VARANASI : विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता आरके सिंह ने अलग-अलग थानों में पांच मुकदमें दर्ज कराए हैं. भेलूपुर, लंका, चितईपुर में दर्ज कराए गए केस में लोगों पर बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने का आरोप है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान –दि0 03.08.2024

वीडीए का अभियान जारी, 18 को जारी किया गया नोटिस

26 बेसमेंटों में पकड़ी गईं व्यावसायिक गतिविधियां

सख्ती

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और कब्जे के विरुद्ध वीडीए का अभियान जारी है। शुक्रवार को 26 बेसमेंट में नियम विरुद्ध उपयोग होता मिला। इनमें 18 के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। गोइठहां और नगवां में चार अवैध निर्माण सील किए गए। इनमें दो बड़े निर्माण हैं। वहीं, लालपुर आवासीय योजना में वीडीए की जमीन पर बनी बाउंड्री ध्वस्त करा दी गई।

अधिकारियों ने दशाश्वमेध और चेतगंज वार्डों में 11, भेलूपुर और नगवां में 12 एवं रामनगर और मुगलसराय में तीन बेसमेंट का अनधिकृत उपयोग पकड़ा। 18 बेसमेंट के मालिकों को तीन दिन में अनधिकृत उपयोग बंद करने एवं वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया गया है। जोनल अधिकारी संजीव कुमार और जेई जेपी गुप्ता ने बताया कि प्रवर्तन टीम ने गोइठहां के समीप रिंग रोड पर 2500 वर्ग फीट में हो रहे अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण में तीन स्थानों पर अतिक्रमण तोड़े गए। प्राधिकरण की भूमि कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, तहसीलदार सुनील कुमार श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा आदि थे।

वहीं, प्रवर्तन टीम ने नगवां के मारुति नगर में लगभग 1600 वर्ग फीट में निर्मित भूतल को सील किया। साथ ही लंका थाने में तहरीर दी गई।

सील तोड़कर अवैध निर्माण कराने पर केस

वीडीए ने सील तोड़कर अवैध निर्माण कराने वाली एक महिला के खिलाफ शुक्रवार को चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अवर अभियंता आरके सिंह ने बताया कि महिला महामनापुरी कॉलोनी में 1500 स्क्वायर फीट में बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा रही थीं। उन्हें 20 अप्रैल को नोटिस जारी करने के साथ निर्माण स्थल को सील कर दिया गया था। बाद में पता चला कि सील तोड़कर दोबारा निर्माण कराया जा रहा था।

हिन्दुस्तान –दि0 03.08.2024

यातायात विभाग के प्रस्ताव पर विकास प्राधिकरण ने तैयार की डिजाइन, ट्रैफिक लाइट भी लगेगी

जेल रोड, पुलिस लाइन तिराहे संवरेंगे

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। फुलवरिया फोरलेन स्थित सेंट्रल जेल रोड तिराहा, पुलिस लाइन तिराहा और पहड़िया चौराहे के कायाकल्प की तैयारी है। इसके लिए यातायात विभाग के प्रस्ताव पर वीडीए ने डिजाइन भी तैयार कर ली है। यातायात व्यवस्थित करने के उद्देश्य से यहां बीच में वाहनों के डायवर्जन के लिए छोटे निर्माण और ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएंगी।

सेंट्रल जेल रोड तिराहा के केंद्र पर कोई निर्माण नहीं है। तिराहे के तीनों तरफ से तेज गति से वाहनों का आवागमन होता है। अक्सर वहां पर हादसे की स्थिति बनी रहती है। लिहाजा वहां पर बीच में सुरक्षित यातायात के लिए निर्माण कराया जाएगा। वहीं पुलिस लाइन तिराहा और पहड़िया चौराहे की डिजाइन भी तैयार की गई है। दो तिराहों और एक चौराहे के बीच में सुंदरीकरण की दृष्टि से ग्रीन एरिया भी रहेगा। एडीसीपी राजेश पांडेय ने बताया कि चौराहे और तिराहों पर वाहनों का दबाव अधिक है। साथ ही मार्गों की चौड़ाई बढ़ी है। इसलिए यातायात व्यवस्थित करने के लिए वीडीए काम कराएगा। इनकी डिजाइन तैयार है।

पुलिस लाइन तिराहे पर होने वाले कार्य की प्रस्तावित डिजाइन

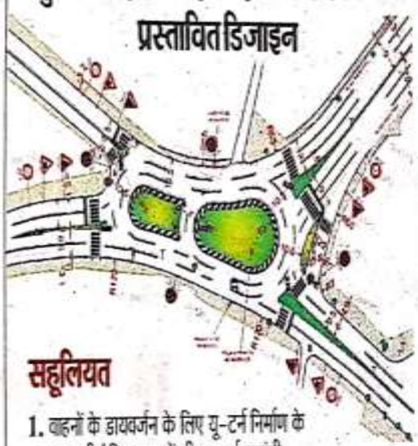

सहूलियत

1. वाहनों के डायवर्जन के लिए यू-टर्न निर्माण के साथ ही ट्रैफिक लाइटें भी लगवाई जाएंगी
2. दो तिराहों और एक चौराहे के बीच सुंदरीकरण की दृष्टि से ग्रीन एरिया का भी निर्माण किया जाएगा

जेपी तिराहे से यातायात में बाधित ईंटें हटाई गईं

वाराणसी। एडीसीपी ट्रैफिक राजेश पांडेय ने शुक्रवार को जेपी मेहता तिराहे पर यातायात में बाधक बनी ईंटें हटवा दीं। ये ईंट पिछले दिनों वीडीए की ओर से कराए जा रहे निर्माण के लिए रखी गई थीं। यातायात में अवरोध को देखते हुए ट्रैफिक अधिकारियों ने निर्माण तो उसी दिन रुकवा दिया था लेकिन ईंटें एक बड़े घेरे में बिखरी पड़ी थीं।

काशी जोन के ई-रिक्शों पर पहले लगेंगे रूट स्टीकर

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। यात्री और टूरिस्ट बसों के बाद यातायात विभाग ने अब ई-रिक्शा का रूट तय कर लिया है। कागज में खाका खींचा जा चुका है। क्यूआर कोडयुक्त स्टीकर बनवाये जा रहे हैं। सावन खत्म होने तक व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।

सबसे पहले काशी जोन में रूट तय होगा। इस जोन में ई-रिक्शा का दबाव अधिक है। एडीसीपी ट्रैफिक राजेश पांडेय ने बताया कि पहले चरण में छह हजार ई-रिक्शा शामिल होंगे। इसके लिए क्यूआर कोड युक्त तीन हजार स्टीकर बने हैं। तीन हजार और स्टिकर बनवाये जा रहे हैं। जल्द ई-रिक्शा मालिकों को उनके रूट के मुताबिक स्टीकर का आवंटन कर दिया जाएगा।

सभी थानों को भी भेजेंगे रूट: ई-रिक्शा के स्वामियों के निवास स्थल के अनुसार उनका रूट तय होगा। ई-रिक्शा पर लगे कलरयुक्त स्टीकर और क्यूआर कोड के जरिये उनका रूट पता चल सकेगा। इसकी पूरी सूची सभी थानों को भी दी जाएगी। ताकि पुलिस इसका अनुपालन करा सके।

03 हजार क्यूआर कोडयुक्त स्टीकर तैयार, इतने ही और बनवाए जा रहे

06 हजार ई-रिक्शों पर रूट स्टीकर लगाने की तैयारी है पहले चरण में

- सावन के बाद लागू की जाएगी नई व्यवस्था
- वाहन चालकों के निवास से तय होगा उनका रूट

ऐप से करेंगे स्कैन: पुलिस और यातायात विभाग के पुलिसकर्मियों को ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। इस ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करते संबंधित ई-रिक्शा के स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, निवास स्थान, रूट की जानकारी सामने आ जाएगी। रूटों की जानकारी अपडेट भी हो रही है।

काशी जोन के थाना क्षेत्र: कोतवाली, आदमपुर, रामनगर, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा, भेलूपुर, लंका, चितईपुर, चेतगंज, जैतपुरा, सिगरा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 03.08.2024

लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत कुल तीन स्थानों पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही

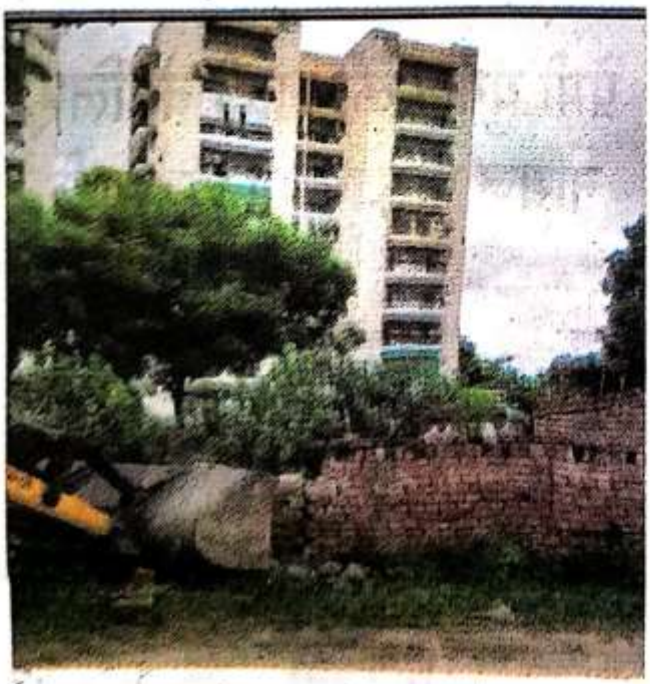

वाराणसी। लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत आराजी संख्या 373/2, 373/4, 394/5 जो प्राधिकरण की अधिकृत भूमि है पर जिसका अंश भागपर कुछ अवैध कब्जेदारों द्वारा चार प्लाट की बाउंड्रीकरण कर कब्ज़ा किया गया था जिसे दिनांक 10/01/2024 को जोनल अधिकारी द्वारा चार दिवारी को गिराया गया था वर्तमान में अतिचारियों द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे आज पुनः गिराया गया है । वही लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण आराजी संख्या 392, 393 के अंश भाग पर अवांछित तत्वों द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर चार दिवारी का निर्माण कर कब्ज़ा किया गया था जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर प्राधिकरण के कब्जे में लिया गया उक्त योजना में स्थित प्राधिकरण की भूमि जो बारातघर के लिए छोड़ी गयी थी रकबा लगभग 560 वर्ग मीटर है पर अतिचारियो द्वारा अतिक्रमण कर बाउंड्री बना लिया गया था जिसे तोड़वाकर प्राधिकरण की ओर से बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है ।मौके पर संयुक्त सचिव परमानन्द यादव,तहसीलदार सुनील कुमार श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकश, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स–दि0 03.08.2024

मैरिज लॉन में कवर्ड एरिया का शुल्क कम करने की मांग

गुहार

व्यापारी मिले वीडीए उपाध्यक्ष से, वीसी के सामने चार सूत्रीय मांगें रखीं

वाराणसी। मैरेज लान में कवर्ड एरिया का शुल्क देने की मांग को लेकर व्यापारियों का दल वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग से मिला। मैरेज लान व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को वीडीए कार्यालय पहुंचा और 4 सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को रखा, और इसके समाधान किये जाने के बारे में वार्ता की।

व्यापारियों ने कहा कि जिस तरह से स्कूल एवं विद्यालय को कवर्ड एरिया का नक्शा पास करने की छूट दी गयी है। उसी तरह मैरेज लॉन को भी ऐसी छूट मिले। दल ने कहा कि नर्सिंग होम संचालक के लिए 9 मीटर का कट आफ डेट किया गया है उसी तरह से मैरेज लॉन के लिए भी कट ऑफ डेट किया जाय। अविकसित क्षेत्र में होटल हेतु सड़क का मानक 9 मीटर निर्धारित रहने पर विकसित क्षेत्र के कॉलोनीयों के भूखंड पर भी होटल के लिए सड़क का मानक 9 मीटर या उससे कम किये जाने की जोरदार मांग की प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ,संगठन के अध्यक्ष अनिल सिंह पटेल ,उपाध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर महामंत्री बबलू मिश्रा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सोनकर, सदानंद पटेल, गोविन्द यादव, गुड्डू पटेल, संजीत पटेल,शेखर बाबा, शैलेंद्र सिंह कविंदर गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।

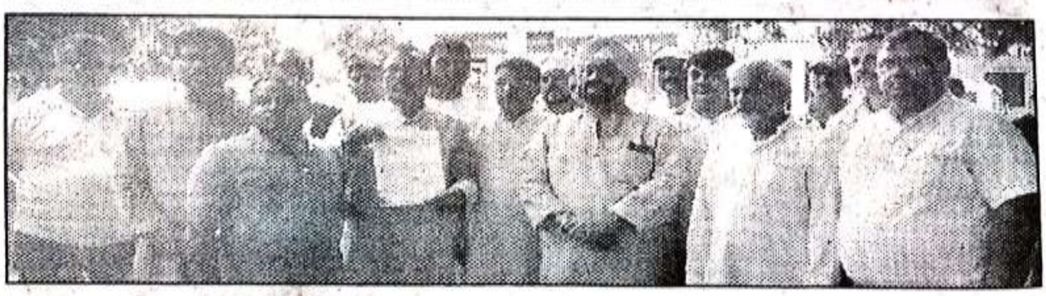

जनसंदेश टाइम्स–दि0 03.08.2024

बेसमेंट के गलत उपयोग पर कार्रवाई हुई तेज

वाराणसी। बेसमेंट के गलत उपयोग पर अभियान ने पकड़ी रफ्तार, वीडीए ने 26 जगहो पर जांच कर सख्त कारवाई की। विभाग की टीम एक साथ 6 जोनो को अपने घेरे में लिया और सघन जांच की। इस दौरान 18 भवन स्वामियों को वैधता प्रस्तुत हेतु तीन दिनों की मोहलत दी अन्यथा कड़ी कारवाई भुगतने की चेतावनी दिया। इसको लेकर शुक्रवार को वीडीए की टीम लावलश्कर के साथ अचानक सभी जोन में बेसमेंट मे की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया।

इस दौरान कुल 26 बेसमेंटों के भवनों की स्थलीय जांच की गयी। जो मौके पर नियम विरुद्ध प्रयोग होता पाया गया। अभियान में टीम ने देखा कि जोन-3 के दशाश्वमेध, चेतगंज मे 11; जोन-4 के भेलूपुर, नगवा में कुल 12 जगहो पर बेसमेंट का अनाधिकृत प्रयोग हो रहा था। इस दौरान जोन-5 रामनगर और मुगलसराय मे कुल 03 बेसमेंट भवनों का गलत उपयोग किये जाने पर जिसे तत्काल बंद करने की चेतावनी दी।

इस दौरान कुल 18 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 3 दिन मे अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिसमें वीडीए ने इस दौरान संजय अग्रहरी, मलदहिया, नीतू मलदहिया, ड्रीन्क्स एण्ड बोर्ड क्लब बार गुलाब बाग, होटल आरके गैण्ड होटल, एस.बी.

ऐक्शन

वीडीए ने 26 स्थान पर की कार्रवाई

18 भवन स्वामियों को वैधता पेश करने को तीन दिन की मोहलत

गैण्ड रामकटोरा, होटल जैक्लिनों, संदीप बरनवाल सिगरा, शारदा सिंह सिद्धार्थ काम्प्लेक्स, करण सिंह यू.एस. अग्रवाल महमूरगंज रोड सिगरा, गुरूनानक इंग्लिस स्कूल सिगरा, विवेक सिगरा, सुभाष बी.एच.यू. रोड भिखारीपुर; बेनी विश्वकर्मा नेवादा सुन्दरपुर, सेवालाल, नीलकण्ठ टावर के सामने नेवादा, सद्गुरू शणनानन्द महाराज नेवादा सुन्दरपुर, संजय कुमर सिंह नेवादा सुन्दरपुर, मनोज मिश्रा नेवादा निकट पी.एन.बी. बैंक, डा. जे.एम. कश्यप प्रतीत हास्पिटल नेवादा सुन्दरपुर, आनन्द पटेल नेवादा सुन्दरपुर, राजकुमार नेवादा सुन्दरपुर, मंजू रानी नेवादा सुन्दरपुर, राजेन्द्र कुमार नेवादा सुन्दरपुर, आनंद आटो स्पेयर्स भिखारीपुर बादल कम्पटेटिव क्लासेज मानसनगर मुगलसराय, चोखा रेस्टोरेन्ट चन्धासी मुगलसारय, मन्जू ड्रेसेज, महमूदपुर मुगलसराय को 3 दिन में अनधिकृत प्रयोग जहां बंद करने की चेतावनी दी, वहीं भवन की वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भी जारी किया।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 03.08.2024

बेसमेंट में चल रही व्यवसायिक गतिविधि के खिलाफ चला अभियान

26 बेसमेंट में मिली व्यवसायिक गतिविधि

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए के विकास क्षेत्र के अंतर्गत सभी जोन में बेसमेंट में की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान' चलाया गया जिसके क्रम में शुक्रवार को कुल 26 बेसमेंट भवन की स्थलीय जांच में मौके पर नियम विरुद्ध प्रयोग होता पाया गया। जोन-3 के दशाश्वमेध और चेतगंज मे 11, जोन-4 के भेलूपुर और नगवा में कुल 12 एवं जोन-5 रामनगर और मुगलसराय में कुल 03 बेसमेंट भवनों में अनिधकृत प्रयोग होता पाया गया। इस प्रकार कुल 18 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 03 दिन में अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें मुख्यतः संजय अग्रहरी, मलदहिया, नीतू मलदहिया, ड्रीन्क्स एण्ड बोर्ड क्लब बार गुलाब बाग, होटल आरके गैण्ड भवन सं.-सी 19/187-1ए, होटल एसबी गैण्ड रामकटोरा, होटल जैक्लिनों भवन सं.-डी. 64/127-ए-5, संदीप बरनवाल सिगरा, शारदा सिंह सिद्धार्थ काम्प्लेक्स, करण सिंह यूएस अग्रवाल महमूरगंज रोड सिगरा, गुरूनानक इंग्लिस स्कूल सिगरा, विवेक सिगरा, सुभाष बीएचयू रोड भिखारीपुर, बेनी विश्वकर्मा नेवादा सुंदरपुर, सेवालाल, नीलकण्ठ टावर के सामने नेवादा, सुरू शणनानंद महाराज नेवादा सुंदरपुर, संजय कुमर सिंह नेवादा सुंदरपुर, मनोज मिश्रा नेवादा निकट पीएनबी बैंक, डॉ. जेएम कश्यप प्रतीत हास्पिटल नेवादा सुंदरपुर, आनंद पटेल नेवादा सुंदरपुर, राजकुमार नेवादा सुंदरपुर, मंजू रानी नेवादा सुंदरपुर, राजेंद्र कुमार नेवादा सुंदरपुर, आनंद आटो स्पेयर्स भिखारीपुर बादल कम्पटेटिव क्लासेज मानसनगर मुगलसराय, चोखा रेस्टोरेंट चंधासी मुगलसारय, मंजू ड्रेसेज, महमूदपुर मुगलसराय को 03 दिन में अनिधकृत प्रयोग बंद करने एवं भवन की वैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया।

वीडीए ने चार अवैध निर्माण को किया सील : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने कुल 04 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की। नगवां वार्ड के अंतर्गत विजय सिंह की तरफ से मारुति नगर में लगभग 1600 वर्ग फीट में निर्मित भूतल के निर्माण पर फिनिशिंग का कार्य पाए जाने पर स्थल को सील कर थाना लंका की अभिरक्षा में दिया गया।

उक्त के क्रम में 03 पुराने सील को सुदृढ़ किया गया। नगवां वार्ड के अंतर्गत मारुति नगर कॉलोनी में गोविंद सिंह पुत्र शशि करण सिंह जिनके निर्माण को विगत दिनों सील किया गया था सील का उल्लंघन कर निर्माण कार्य गतिमान पाया गया। तत्काल प्रभाव से सील सुदृढ़ करते हुए थाना लंका में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई।

रिंग रोड किनारे अवैध निर्माण को किया सील : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। वार्ड-सारनाथ, मौजा-गोइठहां के अंतर्गत रविंद्र पटेल व अरविंद पटेल द्वारा रिंग रोड पर 2500 वर्ग फिट में किए जा रहे अवैध निर्माण को शुक्रवार को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

उधर, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को चार स्थलों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध मुगलसराय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

वीडीए ने अपनी संपत्ति पर से हटवाया कब्जा : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत कुल तीन स्थानों पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत आराजी संख्या 373/2, 373/4, 394/5 जो प्राधिकरण की अधिकृत भूमि है पर जिसका अंश भागपर कुछ अवैध कब्जेदारों द्वारा चार प्लाट की बाउंड्रीकरण कर कब्जा किया गया था जिसे दिनांक 10 जनवरी 2024 को जोनल अधिकारी द्वारा चार दिवारी को गिराया गया था वर्तमान में पुनः अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे शुक्रवार को पुनः गिराया गया है।

उक्त के क्रम में लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण आराजी संख्या 392, 393 के अंश भाग पर अवांछित तत्वों द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर चार दिवारी का निर्माण कर कब्जा किया गया था जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर प्राधिकरण के कब्जे में लिया गया।